

वित्तीय शिक्षा की भूमिका : भारतीय उदाहरण*

या.वे.रेड्डी

इस विशिष्ट सभा में आमंत्रित करने के लिए मैं श्री स्वरूप का आभारी हूँ। यह कॉन्फ्रेंस हमारे देश में वित्तीय शिक्षा के स्तरों को बढ़ाने के लिए अपनी खोज में दूसरे देशों के अनुभवों से लाभ उठाने के लिए पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, के साथ सहयोग एक प्रशंसनीय विचार है, जो निश्चित रूप से वित्तीय शिक्षा के मुद्दे को और आगे बढ़ाने में योगदान करेगा। इस चर्चा में अनेक वक्ताओं की प्रतिष्ठा ने इसके महत्व को काफी बढ़ा दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक में हम भी इस विषय में रुचि ले रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस में हुए विचार-विमर्श से लाभान्वित होने की आशा करते हैं।

इस अवसर पर मेरी टिप्पणियाँ निम्न रूपों में रखी जाएंगी। सर्वप्रथम मैं आज के समाज में इस विषय की महत्ता पर कुछ परिचय प्रस्तुत करूँगा उसके बाद इस क्षेत्र में वैश्विक परंपरा की समीक्षा करूँगा। भारत में वित्तीय शिक्षा पर किसी चर्चा में भारतीय वास्तविकताओं को भी स्वीकार करना होगा। निष्कर्षात्मक विचार भारत में वित्तीय शिक्षा की पहुंच के प्रसार की दिशा में संभावित दृष्टिकोणों के स्वरूप के होंगे।

पृष्ठभूमि

वित्तीय शिक्षा की परिभाषा जानकारी के आधार पर विकल्प चुनने के लिए वित्तीय बाजारों के उत्पादों को जानने तथा विशेषकर उसके लाभों और जोखिमों को समझने की क्षमता के रूप में की जा सकती है। इस दृष्टिकोण से देखने पर वित्तीय शिक्षा मुख्य रूप से वैयक्तिक वित्तीय शिक्षा से जुड़ी है जो व्यक्तियों को अपनी समग्र आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा वित्तीय मामलों में संकटों से बचने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने में समर्थ बनाती है।

वित्तीय शिक्षा पर किसी भी चर्चा का केंद्र बिंदु मुख्यतः व्यक्ति पर होता है, जिसके पास आमतौर पर सीमित संसाधन और दक्षताएं होती हैं, ताकि वह दैनिक आधार पर वैयक्तिक वित्त से जुड़े मामलों पर वित्तीय मध्यस्थों के साथ वित्तीय लेन देनों की जटिलता को समझ सके।

वित्तीय सुधारों की प्रक्रिया, जिसमें अपविनियमन और बाजारीकरण शामिल हैं, को चाहिए कि वह सार्वजनिक नीति के एक महत्वपूर्ण घटक के

रूप में आम व्यक्ति को वित्तीय बाजार में जानकारी और विश्वास के आधार पर भाग लेने के लिए शिक्षित करने और सशक्त बनाने की क्षमता रखती हो।

वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में एक समान है। विकसित देशों में वित्तीय उत्पादों की बढ़ती हुई संख्या तथा जटिलताएं, व्यक्तियों को सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व में निरंतर बदलाव, तथा व्यक्तिगत सेवा निवृत्ति आयोजना की बढ़ती हुई महत्ता इसे अनिवार्य बना देती हैं कि वित्तीय शिक्षा सभी को प्रदान की जानी चाहिए।

विकासशील देशों में भी नए-नए विकसित हो रहे वित्तीय बाजारों में उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई संख्या की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भागीदारी वित्तीय शिक्षा के प्रावधान को आवश्यक बना देगी - यदि इन बाजारों को विकसित होना है और दक्षता पूर्वक इनका परिचालन करना है। इसके अलावा, पिछले दशक में, अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि, जो नई प्रौद्योगिकी तथा व्यक्तियों की बढ़ती हुई अंतरराष्ट्रीय रूप से संचलता के परिणाम स्वरूप हुई, वित्तीय शिक्षा में सुधार लाने को उत्तरोत्तर एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना देती है।

विनियामक दृष्टि से, वित्तीय शिक्षा आम व्यक्ति को सशक्त बनाती है और इस प्रकार आम व्यक्ति को बाजार की असफलता के तत्वों से जो वस्तुतः सूचना की विषमता के कारण होती है, संरक्षण देने के भार को घटाती है। उदाहरण के लिए बाजार अनुशासन पर जोर, जो बैंकिंग विनियमन के तीन खंडों में से एक है, विशेषकर बासल II के अंतर्गत, सर्वोत्तम रूप से तभी पूरा होता है जब वित्तीय रूप से शिक्षित बैंक ग्राहक वित्तीय बाजार में भाग लेते हैं।

वित्तीय शिक्षा न केवल जीवन की गुणवत्ता में, जिसे व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि बाजारों की निष्ठा (ईमानदारी) और गुणवत्ता में भी अंतर लाती है। यह व्यक्तियों को बजट बनाने के बुनियादी साधन उपलब्ध कराती है, उन्हें बचत करने के अनुशासन को प्राप्त करने में सहायता करती है और इस प्रकार, यह सुनिश्चित करती है कि वे सेवा-निवृत्ति के बाद शानदार जीवन बिता सकें। इसके फलस्वरूप, वित्तीय रूप से शिक्षित ग्राहक वास्तविक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके, सेवा प्रदाताओं को अपनी दक्षता के स्तरों में नवोन्मेष और सुधार लाकर अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा सकते हैं।

* पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के सह आयोजन में ओईसीडी द्वारा 21 सितंबर 2006 को नई दिल्ली में वित्तीय शिक्षा पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. या.वे.रेड्डी का उद्घाटन भाषण।

वैश्विक संव्यवहार

विशेषकर विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में यह कहा गया है कि जहां नवयुवक पर्याप्त बचत नहीं करते हैं और भविष्य के लिए निवेश करने की आवश्यकता को पूरी तरह नहीं समझते हैं, वहां अनेक बुजुर्ग व्यक्ति गरीबी के कष्ट महसूस करने लगते हैं। इस पृष्ठभूमि में वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता को प्राथमिकता देने की जरूरत है।

उदाहरण के लिए ब्रिटेन में, वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने जन संख्या की वित्तीय दक्षताओं में सुधार लाने तथा उन्हें शिक्षा देने का अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है - ताकि वे वित्तीय लिखतों में अंतर्निहित जोखिमों और लाभों को बेहतर रूप से समझ सकें।

अमरीकन ट्रेजरी ने, अपना वित्तीय शिक्षा का कार्यालय 2002 में स्थापित किया। यह कार्यालय उन वित्तीय शिक्षा के साधनों तक पहुंच को प्रोन्नत करने का कार्य करता है जो सभी अमरीकी नागरिकों को अपने वित्तीय प्रबंधन के सभी क्षेत्रों में बुद्धिमत्तापूर्ण चयन करने में उनकी सहायता करते हैं, जिसमें विशेष जोर बचतों, ऋण प्रबंधन, आवास के स्वामित्व तथा सेवा निवृत्ति योजनाओं पर रहता है। वित्तीय साक्षरता तथा शिक्षा सुधार अधिनियम को पारित करके कांग्रेस ने 2003 में वित्तीय साक्षरता तथा शिक्षा आयोग (एफएलईसी) का गठन किया जिसका प्रयोजन वित्तीय साक्षरता और शिक्षा को प्रोन्नत करने की राष्ट्रीय रणनीति का विकास करके अमरीका में व्यक्तियों की वित्तीय साक्षरता और शिक्षा में सुधार लाना था। फेडरल रिज़र्व अनेक अन्य फेडरल सरकारी एजेंसियों के साथ इस आयोग का सदस्य है जिसको वित्तीय शिक्षा कार्यालय द्वारा समर्थन/सहायता दी जाती है।

फेडरल रिज़र्व प्रणाली की हाल ही में पुनर्संरचित वित्तीय शिक्षा की वेबसाइट www.federalreserveeducation.org को इस प्रकार समन्वित किया गया हो जो फेडरल रिज़र्व की शैक्षिक सामग्री के प्रयोग को बढ़ाए तथा कक्षाओं में वित्तीय शिक्षा को प्रोन्नत करे। इस वेबसाइट की सामग्री आम जनता के लिए बनाई गई है तथा साथ ही सामग्री को विशेष रूप से शिक्षकों तथा हाईस्कूल और कालिज के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बनाया गया है। यह मुफ्त शिक्षा सामग्री तक पहुंच को आसान बनाती है, अध्यापकों के लिए तथा विभिन्न आयु और ज्ञान के स्तर वाले बच्चों के लिए खेलों के लिए प्रोत्तों के लिए सर्च इंजन उपलब्ध कराती है। अन्य क्षेत्रीय फेडरलों के पास भी अपनी वेबसाइट पर विभिन्न परस्पर क्रियाशील ऑनलाइन कार्यक्रम हैं जो बेहतर वित्तीय प्रबंधन करने तथा अपनी खुद की वित्तीय स्थिति का बेहतर आकलन करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाए गए हैं।

आस्ट्रेलिया में, सरकार ने 2002 में एक राष्ट्रीय उपभोक्ता तथा वित्तीय साक्षरता कार्यदल गठित किया जिसने 2005 में वित्तीय साक्षरता फाउंडेशन के गठन की सिफारिश की थी। राज्यों और क्षेत्रों के साथ घनिष्ठता

से कार्य करते हुए उक्त फाउंडेशन ने वित्तीय साक्षरता के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार किया है जो विद्यालय के बच्चों को अपने धन के प्रबंधन के महत्व को पहचानने के लिए आधार चिह्न प्रदान करेगा।

मलेशिया में वित्तीय क्षेत्र मास्टर प्लान 2001 में शुरु की गई जिसमें 10 वर्षीय उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम है। इस एजेंडा में वित्तीय शिक्षा, परामर्शी सेवाएं, आपात प्रबंधन, तथा पुनर्वास के क्षेत्रों में बुनियादी संरचना और संस्थागत क्षमता विकास के कार्यक्रम शामिल हैं। इस प्रयोजन के लिए बैंक नेगारा मलेशिया ने वित्तीय उद्योग तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर वित्तीय मध्यस्थन ब्यूरो, जमा बीमा योजना, बुनियादी बैंकिंग सेवा ढांचा, शुरु किया है, साथ ही लाइसेंस शुदा वित्तीय परामर्शदाताओं की एक नई श्रेणी शुरु की है। बचत और शैक्षिक कार्यक्रम भी विद्यालयों में प्रोन्नत किए जा रहे हैं। हाल ही में जनता के लिए एक स्थलीय केंद्र स्थापित किया गया है जो केंद्रीय बैंक के ही अंदर है जिससे मलेशिया में वित्तीय सेवाओं के बारे में सूचना प्राप्त की जा सकती है तथा जहाँ सामान्य पूछताछ और शिकायतों के बारे में आमने-सामने ग्राहक सेवा प्रदान करता है। इन पहलों को उच्चस्तरीय पारदर्शिता और प्रकटीकरण से सशक्त बनाया गया है।

सरकारी एजेंसियों के सहयोग के साथ मोनिटरी अथोरिटी ऑफ सिंगापुर ने वित्तीय साक्षरता तथा उपभोक्ताओं में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम (मनीसेंस) शुरु किया है। इस कार्यक्रम में वित्तीय साक्षरता के तीन स्तर शामिल हैं, बुनियादी धन प्रबंधन में बजट बनाने तथा बचत करने की दक्षताएं तथा ऋण के उत्तरदायित्व पूर्ण उपयोग के लिए टिप्स भी शामिल हैं (टीयर I), नागरिकों को अपनी दीर्घावधिक वित्तीय आवश्यकताओं के आयोजना करने की दक्षताएं और जानकारी के युक्त बनाने के लिए (टीयर II), तथा विभिन्न निवेश उत्पादों के बारे में जानकारी तथा निवेश के लिए कौशल उपलब्ध कराना (टीयर III)।

इन सबके ऊपर ओइसीडी वित्तीय शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने में सक्रिय रूप से पहल कर रहा है। इसने हाल ही में वित्तीय साक्षरता को सुधारना नाम से वित्तीय शिक्षा पर एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अध्ययन जारी किया है जिसमें वित्तीय शिक्षा और जागरूकता में बेहतर संव्यवहारों पर व्यवहारिक मार्गदर्शी दिशानिदेश भी शामिल हैं। ये गाइडलाइन्स, जो गैर बाध्यताकारी स्वरूप के हैं, इस प्रकार बनाई गई हैं जो देशों को प्रभावी वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम बनाने और उनका अनुपालन करने में सहायता करने के लिए हैं। ये गाइडलाइन्स ओइसीडी देशों में इस क्षेत्र में विद्यमान सर्वोत्तम संव्यवहारों को लेकर बनाई गई हैं। वित्तीय शिक्षा में सभी प्रमुख पण धारकों - सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और उपभोक्ता समूहों - की भूमिका को प्रोन्नत करते हैं। इसके अलावा, वे सरकार तथा विनियामक प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सार्वजनिक सूचना तथा वित्तीय विश्लेषकों द्वारा आपूर्ति की गई सूचना के बीच स्पष्ट विभाजन करते हैं।

क्या वित्तीय शिक्षा ने अपना उद्देश्य जैसे कि बढ़ी हुई उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना, या बदला हुआ व्यवहार, जिसपर मैं बाद में बात करूंगा, प्राप्त कर लिया है, यह जानने के लिए साधन/तरीका खोजना या बनाना भी महत्वपूर्ण है। तथापि, साक्ष्यों की सूची यह सुझाती है कि ऐसे कार्यक्रम प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए अमरीका में, यह देखा गया है कि कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा निधियन की गई सेवानिवृत्ति बचत योजनाओं में कर्मचारी अपनी सहभागिता बढ़ाते हैं, जब नियोक्ता उनके लिए वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम चलाते हैं, चाहे वह ब्रोशरों के माध्यम से हो या सेमिनारों के माध्यम से / वे उपभोक्ता जो अपने व्यक्तिगत वित्तों के बारे में आमने-सामने बैठकर परामर्शन सत्र में भाग लेते हैं, कम चूकें करते हैं।

भारतीय वास्तविकताएं

1990 के बाद के प्रारंभिक वर्षों में वित्तीय क्षेत्र के सुधार लागू होने से पहले, भारतीय वित्तीय प्रणाली ने अनिवार्यतः योजनाबद्ध विकास की आवश्यकताओं को पूरा किया। ग्राहकों के पास वित्तीय लिखतों के बारे में बहुत कम विकल्प होते थे। बँट्टे हुए और अल्पविकसित वित्तीय बाजारों से तात्पर्य था कि जोखिम के प्रति उनका एक्सपोजर भी सीमित ही था। ऐसी स्थिति में, ग्राहक अपनी बुनियादी दक्षताओं का उपयोग आसान वित्तीय उत्पादों में करते थे, जिनमें सुनिश्चित प्रतिलाभ प्राप्त होते हैं, और जो अपने जोखिमों के बारे में निर्लिप्त होते थे। वित्तीय शिक्षा की प्रासंगिकता सीमित ही थी।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अनुसरण में भारत में आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य भारी रूपांतरण से गुजर रहा है। इस प्रक्रिया में, वृद्धि के नए स्रोतों के साथ अर्थव्यवस्था अधिक विशाखीकृत हो गई है। इन परिवर्तनों के अनुरूप, हमने वित्तीय क्षेत्र के आधुनिकीकरण को देखा है जो अर्थव्यवस्था की नई अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उत्तरोत्तर रूप से अधिकाधिक विशाखीकृत हो गया है। वित्तीय क्षेत्र भी प्रौद्योगिकी में हुए उन्नयनों के आधार पर अधिकाधिक सशक्त हो गया है जिसने वित्तीय कारोबार के संचालन के तरीके ही बदल दिए हैं। जैसे-जैसे बाजार की गतिविधियां वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के दायरे को बढ़ाना जारी रखे हुए हैं, वैसे-वैसे उपभोक्ता भी जोखिमों के पूरे मायाजाल में अपने वैयक्तिक वित्तों और एक्सपोजर के प्रबंधन में अधिकाधिक बहुमुखी विकल्पों को देख रहे हैं। इस जटिल वित्तीय परिदृश्य में, उपभोक्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण हो गया है कि वे सूचना के प्रति बेहतर पैठ रखें।

सामाजिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। जहाँ एक ओर शिक्षा की लागत काफी बढ़ चुकी है, दूसरी ओर जीवन प्रत्याशा भी बढ़ गई है। इन दोनों को मिलाकर देखें तो इसका अर्थ होगा बुजुर्ग लोगों को अब अपनी खपत तथा निवेश संविभागों को लगातार पुनः संतुलित करते रहना होगा। बढ़ी हुई जीवन की प्रत्याक्षा ने भी नियोक्ताओं को विवश कर

दिया है कि वे तदर्थ रूप से निधियत सेवानिवृत्ति योजनाओं से हटकर निश्चित अंशदान वाली योजनाओं की ओर बढ़ें। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी में उन्नयनों ने सूचनाओं की प्राप्ति और प्रसंस्करण तथा जॉब (नौकरी) की खोज की लागत को कम कर दिया है। इसके फलस्वरूप, इसने जॉब की सचलता में वृद्धि कर दी है, साथ ही इससे संलग्न परिवार के आकार और खर्चों के स्वरूप पर भी प्रभाव डाला है।

इस परिवर्तित वित्तीय परिवेश में वित्तीय शिक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। परिवारों की वित्तीय हैसियत में सुधार लाने के साधनों के बारे में विचार करते हुए वित्तीय शिक्षा उपभोक्ताओं को असंख्य वित्तीय उत्पादों और उत्पाद उपलब्ध कर्ताओं में से सही विकल्प चुनने के लिए अपेक्षित जानकारी से उपभोक्ताओं को संपन्न बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा, वित्तीय शिक्षा व्यक्तियों को घरेलू बजट बनाने बचत योजनाएं शुरू करने, ऋण का प्रबंधन करने और अपनी सेवानिवृत्ति के लिए या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए रणनीतिगत निवेश निर्णय लेने में सहायता कर सकती है। वित्तीय रूप से शिक्षित होने के कारण यह व्यक्तियों को संभावित आकस्मिकताओं और आगे के आपात काल के लिए बचत करने के महत्व को बेहतर रूप में समझने में समर्थ बनाती है। यह उपभोक्ताओं को बेहतर क्रेता बनने में समर्थ बना सकती है कि वह उन्हें माल और सेवाएं निम्न कीमत पर प्राप्त करने के लिए अनुमति देकर उन्हें सशक्त बनाती है। इसके बदले में यह प्रक्रिया, उपभोक्ताओं की वास्तविक क्रय शक्तियों को बढ़ाती है, खपाने, बचाने और निवेश के लिए उनके अवसरों को कई गुना बना देती है। इन बुनियादी वित्तीय दक्षताओं के होने से व्यक्ति अपने परिवारों की अपने मध्यावधिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने तथा अपनी दीर्घावधिक वित्तीय हालात को अधिकतम कर सकता है।

वित्तीय शिक्षा ग्राहक संरक्षण का भी अंतरंग भाग है। सघन प्रयासों के बावजूद, पारदर्शिता की वर्तमान स्थिति तथा घुमावदार सूचनाओं की भारी मात्रा में से सही सूचना को पहचानना और समझना उपभोक्ता के लिए अभी भी कठिनाइयों से भरा है, जो उसे वित्तीय मध्यस्थकों और ग्राहक के बीच सूचना की असमानता की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए ग्राहक चुकौतियों में मामूली-से उल्लंघन के लिए दंडित कर दिए जाते हैं, हालांकि बैंकों की सेवाओं में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए उनके पास निवारण संबंधी प्रक्रिया-तंत्र बहुत सीमित होता है जो बैंकर-ग्राहक संबंधों को असमान बना देता है। इस दोनों के बीच के संबंध में, मुख्य या प्रधान जमाकर्ता है जिसके पास वास्तव में एजेंट अर्थात् बैंक की अपेक्षा बहुत कम शक्तियां हैं, बिना उचित तथा पूर्व सूचना दिए बैंकों द्वारा अतर्कसम्मत रूप से उच्च सेवा प्रभार लगाने या उपभोक्ता प्रभार लगाने तथा उपयोक्ता प्रभारों को बढ़ाने, के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन तथा बैंकों के विरुद्ध ग्राहकों की बढ़ती हुई शिकायतों की संख्या भी इस तथ्य की पुष्टि करती है। इस संदर्भ में वित्तीय शिक्षा ग्राहकों को वित्तीय रूप से अशांत करने वाली ऋण व्यवस्थाओं का शिकार होने से बचाने में सहायता कर सकती है।

तथापि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें भारतीय संदर्भ में सीधे निपटाना होगा। पहला, हमारे देश की क्षेत्रीय स्थिति भिन्न-भिन्न है। अलग-अलग क्षेत्रों के लोग अपनी-अपनी भाषाओं के जानकार हैं। दूसरा, सभी राज्यों में साक्षरता के स्तर भी अलग-अलग है। इस प्रकार उदाहरणार्थ अनेक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 2001 में साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय औसत साक्षरता के स्तर 65.4 से ऊपर था, इसके विपरीत, ऐसे भी क्षेत्र थे, जहाँ साक्षरता के स्तर काफी निम्न रहे। तीसरा, निर्भरता अनुपात सभी राज्यों में अलग-अलग रहा। चौथा, एक राज्य के अंदर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भी भारी अंतर है। पांचवें, सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा के फैलने के स्तर में भी बहुत अंतर है। इन सबको मिलाकर हमारे देश की ये अद्वितीय स्थितियाँ एक ऐसी सार्वजनिक नीति की मांग करती हैं जो इन क्षेत्रीय असमानताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय शिक्षा के स्तर को बढ़ा सके। जितना ही अधिक आम आदमी वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता को समझने और अपनाने में समर्थ होगा, उतना ही अधिक विनियमन की लागतों को कम करते हुए वित्तीय विनियमकों का कार्य आसान हो जाएगा।

संभावित दृष्टिकोण

बढ़ते हुए वैश्वीकरण की यह आवश्यकता है कि वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय शिक्षा की वृद्धि की गति के बीच जो अंतर है उसे कम से कम किया जाए। इस प्रक्रिया में जाने के लिए अनेक तरीके हैं। उदाहरण के प्रयोजन के लिए, इनको संस्थागत प्रणाली-तंत्र, सुपुर्दगी प्रणाली-तंत्र और प्रयासों का विकेंद्रीकरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

संस्थागत प्रणाली-तंत्र

जहाँ तक संस्थागत प्रणाली-तंत्र का संबंध है, इस तथ्य पर लगभग सहमति है कि वित्तीय शिक्षा को पहुँच के प्रसार का कोई भी प्रयास निम्नतम स्तर से शुरु किया जाना होगा। वर्तमान में स्कूल से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले बच्चों को उनके माता-पिता की तुलना में वित्तीय रूप से शिक्षित बनाने की ज्यादा जरूरत है। यदि उन्हें अपने जीवन भर अपने व्यक्तिगत वित्त का सफलतापूर्वक प्रबंधन करना है। इसके अलावा विश्वविद्यालय और व्यावसायिक विद्यालयों की यह महत्वपूर्ण भूमिका है कि वे वित्तीय मामलों में जनता को उच्च गुणवत्ता पूर्ण सलाह प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए वित्तीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण प्रदान करें।

इसके अतिरिक्त वित्तीय शिक्षा प्रदान करने की एक और सरणि कार्य-स्थल हो सकता है, जहाँ यह अधिकांशतः कार्य करने वाले प्रौढ़ों तक पहुँच सकता है। अतः यह एक संभावित प्रणाली-तंत्र होगा जहाँ अनेक वित्तीय सेवाओं जैसे सेवा निवृत्ति योजनाओं बीमा के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकती है।

न केवल अपने ग्राहकों को, बल्कि अपने खुद के स्टाफ को भी वित्तीय शिक्षा प्रदान करने, वित्तीय संस्थाओं की भूमिका को बेहतर रूप में परिभाषित करने और उसे और भी प्रोन्नत करने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अच्छे कार्यक्रमों और संव्यवहारों तथा गैर सरकारी एजेंसियों (एनजीओ) की भूमिका का लाभ उठाकर वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाने के उपायों पर अधिक सूचना की जरूरत है।

अंतरराष्ट्रीय संगठन इस बात के लिए बेहतर स्थिति में हैं कि वे वित्तीय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों और अध्ययनों का संयोजन करें, विभिन्न वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों की तुलनात्मक दक्षता का मूल्यांकन करें, तथा नीति निर्माताओं के लिए अनुपालनार्थ मार्गदर्शी दिशा निदेश और अच्छे संव्यवहारों को विकसित करें। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ भी ऐसे मंच प्रदान कर सकती हैं, जहाँ देश वित्तीय मुद्दों के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने की रणनीतियों की तुलना कर सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं।

अनेक सरकारें और केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उपभोक्ता ऋण, निवेश तथा अन्य वित्तीय मुद्दों के बारे में वित्तीय शिक्षा का प्रावधान करने में सक्रिय रूप से संबद्ध हैं। जो अक्सर व्यक्तिगत उधार कर्ताओं और निवेशकों के संरक्षण को सुधारने के लिए सार्वजनिक नीति के अभियान के एक भाग के रूप में उदाहरण के लिए पेंशन सुधार के चल रहे प्रयासों के एक भाग के रूप में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार केंद्रीय बैंकों के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान उत्पादक (अनुकूल) होगा।

सुपुर्दगी प्रणाली-तंत्र

वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए सुपुर्दगी प्रणाली-तंत्र कई आयामी हो सकती है। तथापि, वित्तीय शिक्षा की विषय वस्तु और उसकी सुपुर्दगी उपभोक्ताओं के उप-समूहों जैसे युवकों या बुजुर्गों, कम या बेहतर शिक्षित, बेहतर या अल्प सूचना-प्राप्त, वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुतीकरणों, व्याख्यानों, कॉन्फ्रेंसों, सेमिनारों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और सिम्पोजियमों का सक्रियतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है।

दूसरा, पुस्तकों, ब्रोशरों, पत्र-पत्रिकाओं, बुकलेटों / पेम्पलेटों, सीधे मेल दस्तावेजों, जैसे विभिन्न रूपों का प्रयोग करना भी उपयोगी होगा।

तीसरा, व्यापक प्रसार वाली सभी सरणियों का उपयोग करते हुए समन्वित मीडिया के अभियान के माध्यम सूचना प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाते हुए इस प्रक्रिया को बेहतर दक्षता प्रदान करने की आशा की जा सकती है। अन्य पद्धतियों में संस्थाओं की ओर से परामर्शी सेवाएं तथा तेजी से बढ़ती हुई दूर संचार सेवाएं भी शामिल हैं।

वित्तीय शिक्षा की आपूर्ति ही नहीं, बल्कि उसकी मांग भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश सुपुर्दगी के माध्यम उनके लिए अच्छे हैं जो किसी विशेष विषय में पहले से ही रुचि रखते हैं। एक महत्वपूर्ण चुनौती वित्तीय सूचना और शिक्षा के लिए मांग के सृजन की है।

प्रयासों का विकेंद्रीकरण

हमारे देश की अनोखी स्थितियों को देखते हुए वित्तीय शिक्षा की पहुँच को बढ़ाने के किसी भी प्रयास में भाषा, श्रमिक वर्ग और वित्त के फैलाव में क्षेत्रीय अंतरों की भूमिका को स्वीकार करना होगा। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में सुदृढ़ उपस्थिति दर्शाने वाले बैंक ग्राहकों को सुविधाओं के ब्यौरे देने वाली स्थानीय भाषा में वेबसाइट चालू करने की संभावना तलाश कर सकते हैं।

दूसरे, हाल की अवधि में इंटरनेट के विस्फोट ने वित्तीय संगठनों और इसके ग्राहक समुदाय के बीच के संबंध को बदल दिया है। अब संगठन अपने भावी और वर्तमान ग्राहकों दोनों को परिपक्व बाजारों में व्यवहार में लाई जाने वाली वेबसाइट की तर्ज पर अपनी वेबसाइट की सूचनात्मक विषयवस्तु को समृद्ध करके बेहतर रूप में संप्रेषित करने के बारे में तरीकों की जांच परख कर सकते हैं।

तीसरा, वित्तीय शिक्षा की पहुँच का विस्तार करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के पास ऋण-मंत्रणा (परामर्शन) एक संभावित साधन हो सकता है।

चौथा, प्रतिष्ठित संगठनों जैसे राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईईआर) के लिए यह रुचि का विषय हो सकता है कि वे आवधिक अंतरालों पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की जागरूकता के स्तर का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराएं, ऐसे अध्ययनों से उभर कर आने वाले निष्कर्ष वित्तीय संस्थाओं के साथ बांटे जा सकते हैं ताकि वे अपनी सेवा सुपुर्दगी में आए अंतराल को पाट सकें और जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रोन्नत कर सकें।

पांचवां, अनेक संस्थाएं जैसे, भारतीय वित्तीय आयोजना बोर्ड (एफपीएसबीआई) जो सार्वजनिक निजी उद्यम के साथ गठित एक व्यावसायिक मानक स्थापित करने वाली संस्था रिपोर्ट के अनुसार वैयक्तिक वित्तीय आयोजना के पेशेवरों (प्रेक्टिस कर्ताओं) को एक समान रूप से विनियमित करने का सक्रियतापूर्वक प्रयास कर रही हैं। ऐसे प्रयासों में से अधिकांश की आवश्यकता इस देश में जनता को लाभ पहुँचाने और उसको संरक्षित करने के लिए वित्तीय आयोजना के व्यावसायिकों के लिए मानकों के विकास और संवर्धन हेतु मार्गदर्शन करने के लिए होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी ओर से समग्र रणनीति के एक भाग के रूप में हमारे देश में वित्तीय शिक्षा के मुद्दों को आगे बढ़ाने की इच्छा करता है। इस संबंध में अपनाई गई रणनीति को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन पर हाल ही में दिए गए जोर को देखते हुए औपचारिक वित्त की पहुँच का विस्तार करने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। महत्तर ग्राहक जागरूकता तथा वित्तीय उत्पाद और सेवाओं की समझ पैदा करने के लिए वित्तीय शिक्षा के साथ इन प्रयासों को और सुचारु बनाने की जरूरत है। समस्याओं पर काबू पाने तथा सांचागत वित्तीय प्रणाली तक पहुँच प्राप्त करने में सहायता करने के लिए ऋण परामर्शन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का भी गठन किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित करने की आशा की जाती है कि बैंक बैंकिंग सेवाओं के न्यूनतम मानकों के लिए स्वयं अपनी व्यापक आचार संहिता बनाएंगे और उनका अनुपालन करेंगे जिनको व्यक्तिगत ग्राहक वैध रूप से अपेक्षा कर सकते हैं और अंतिम, बैंकिंग लोकपाल योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दोषपूर्ण बैंकिंग सेवाओं के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए गठित की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक जमाकर्ता संरक्षण निधि (डीपीएफ) के गठन की संभावना तलाश रहा है। इस निधि का उपयोग वित्तीय शिक्षा और परामर्शन से संबंधित मुद्दों पर आम आदमी के लिए महत्तर जागरूकता पैदा करने के लिए किया जा सकता है। इस कार्य की अनुपूर्ति हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में वित्तीय शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए महत्तर भूमिका देकर की जा सकती है।

निष्कर्ष

जिस प्रकार का अंतरराष्ट्रीय सहयोग आईसीडी और पीएफआरडीए दे रहे हैं - वह एक स्वागत योग्य गतिविधि है। उनके द्वारा शुरु की गई इस उपयोगी पहल के लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस प्रक्रिया का एक भाग बनने का अवसर दिया।

इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह कॉन्फ्रेंस हमारे देश में वित्तीय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यरत हम भी इस विचार विमर्श से लाभान्वित होने की आशा कर रहे हैं।